न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी याचिका सं0 02/2009

1. रामसहाय पुत्र पाँचू
2. सोनी राम पुत्र पाँचू
3. रामपाल पुत्र पाँचू
4. हजारी पुत्र नानगा
   जाति मीणा निवासी मानपुरिया कोठया ढाणी, तहसील दौसा

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्यारसी लाल पुत्र ज्ञानचंद जाति मीणा निवासी मानपुरिया कोठया ढाणी, तहसील दौसा
2. ग्राम पंचायत प्यारीवास तहसील दौसा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत प्यारीवास तहसील दौसा ।

...गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध संकल्प सं0 06 दिनांक 05.4.2006 ग्राम पंचायत प्यारीवास व उक्त प्रस्ताव के तहत अप्रार्थी सं0 1 को जारी पट्टा दिनांक 05.04.2006

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता निगरानीकार।

दिनांक: 30.7.2025

—:: निर्णय ::—

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.04.2006 को निरस्त करने हेतु यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। ग्राम पंचायत प्यारीवास से मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. सर्वप्रथम दफा 05 मियाद अधिनियम पर अधिवक्ता निगरानीकर्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने कथन किया कि संकल्प सं0 06 दिनांक 5.04.2006 के तहत ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को जारी पट्टा दिनांक 05.04.2006 की प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी रामपाल दिनांक 19.1.2009 को मौके पर स्कूल के पास बने हुए रास्ते में होकर जा रहा था कि अप्रार्थी नं0 1 ने धमकी दी कि उक्त रास्ते को बंद करूंगा। उक्त रास्ते का मैने पट्टा बनवा लिया है तब प्रार्थी रामपाल ने अप्रार्थी सं0 1 से पूछा कि तुम्हारे पास पट्टा कहाँ से आया तो उसने बताया कि मैने ग्राम पंचायत से पट्टा बनवा रखा है। तब ग्राम पंचायत में जानकारी करने पर पता चला कि अप्रार्थी नं0 1 ने रास्ते की भूमि स्कूल फील्ड की भूमि एवं बहु कीमती भूमि का दिनांक 5.4.2006 को प्रस्ताव पारित कर और ग्राम पंचायत प्यारीवास से दिनांक 5.4.2006 को अप्रार्थी नं0 1 ने पूर्व पश्चिम 17 फिट उत्तर दक्षिण 85 फिट भूमि का पट्टा ले रखा है। तब उक्त पट्टे एवं प्रस्ताव की नकल हेतु दिनांक 21.1.2009 को ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया तो ग्राम पंचायत ने पट्टे की नकल दी एवं प्रस्ताव की नकल नहीं दी तब सर्वप्रथम उक्त पट्टे व प्रस्ताव की जानकारी हुई। इससे पूर्व कोई जानकारी पट्टे एवं प्रस्ताव के संबंध में जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः दफा 05 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन है कि निगरानी को पेश करने में हुई देरी को क्षमा कर निगरानी अंदर मियाद शुमार फरमाई जावे। अधिवक्ता निगरानीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

की मियाद के बिन्दु पर एकतरफा बहस सुनी गई। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। अतः डिले कन्डोन किया जाकर निगरानी की सुंनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल निगरानी पर अधिवक्ता निगरानीकर्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत प्यारीवास ने पंचायत नियम एवं पंचायत एक्ट की अवहेलना करके विधि विरूद्व तरीके से आम रास्ते की भूमि एवं बहुकीमति ग्राम पंचायत की एवं स्कूल फील्ड की भूमि का अवैध तरीके से बिना प्रक्रिया अपनाये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना दिनांक 5.4.06 को संकल्प सं. 6 पारित करके और अप्रार्थी नम्बर 1 को पूर्व पश्चिम 17 फिट उत्तर दक्षिण 85 फिट का पटटा जारी कर दिया। जिसकी प्रार्थी को कतई जानकारी नही थी। अतः ग्राम पंचायत प्यारीवास के संकल्प सं. 6 दिनांक 5.4.06 एवं उक्त संकल्प के तहत अप्रार्थी नम्बर 1 को दिनांक 5.4.06 को जारी पटटा के खिलाफ श्रीमान के समक्ष निगरानी पेश है। निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि विरूद्व प्रक्रिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंचायत नियमो की अवहेलना करके बिना आपत्ति नोटिस निकाले बिना व बिना आपत्ति नोटिस की तामील कराये बिना व बिना कोई जॉच किये बिना विधि विरूद्व तरीके से मिलीभगत से उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। जिस भूमि का पटटा जारी किया है वह भूमि आम रास्ते की है स्कूल फील्ड की एंव बहूकीमति भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी भूमि का मिलीभगत से झूठे आधारो पर पटटा जारी किया है अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि पर कभी भी अप्रार्थी नम्बर 1 का कब्जा नही रहा, ना ही अप्रार्थी नम्बर 1 का अब कब्जा है अप्रार्थी नम्बर 1 ने झूठे आधारों पर उक्त निर्णय पारित करवाया है। अतः निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अतः निगरानी मंजुर फरमाकर सकंल्प सं. 6 दिनांक 5.4.06 ग्राम पंचायत प्यारीवास एवं उक्त प्रस्ताव के तहत अप्रार्थी नम्बर 1 को जारी पटटा दिनांक 5.4.06 को निरस्त फरमाया जावे।

5. गैर निगरानीकार सं0 1 व 2 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. अधिवक्ता निगरानीकारान की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क है कि जो पट्‌टा जारी किया गया है वह नियम विरूद्ध जारी किया गया है जिसमें पंचायत नियामें की अवहेलना की गई है, आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया है किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है, जिस भूमि का पट्‌टा जारी किया गया है वह बहुकीमती जमीन है अतः पट्‌टा निरस्तनीय है। हमने बग्राम पचंयरत के अभिलेख का अवलोकन किया गया है। सर्वप्रथम बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 5.4.2006 का अवलोकन किया गया जिसके क्रम सं0 6 पर ग्यारसीलाल निवासी मानपुरिया की पत्रावली पेश हुई एवं पत्रावली के अवलोकन, मौका रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के उपरांत पट्‌टा जारी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जिस पर सरपंच द्वारा हस्ताक्षर किये गये। हालांकि [illegible] किया गया है कि पट्‌टे की मूल पत्रावली उनके पास उपस्थित नहीं है। [illegible] में हमारे समक्ष उक्त बैठक कार्यवाही विवरण को उचित मानना [illegible] निगरानीकर्ता यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि उक्त भूमि [illegible] रही है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत प्यारीवास द्वारा पारित संकल्प सं0 06 दिनांक 5.4.2006 एवं उसके आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:13 IST
Reason: SelfAttested

Dw
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जारी पट्टा जो अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में जारी किया गया है को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाय जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:38:13 IST
Reason: SelfAttested